



167

(नोंग) - २४८५- I-16

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2016 जिला-श्योपुर

संजीवनलता पुत्री श्री सतीश कुमार खत्री
निवासी-गणपति रिसोर्ट शिवपुरी रोड श्योपुर
जिला - श्योपुर (म.प्र.)

..... आवेदक

विरुद्ध

म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर जिला श्योपुर (म.प्र.)
..... अनावेदक

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग श्योपुर द्वारा पत्र क्रमांक
जनसुनवाई/2016/212 में पारित आदेश दिनांक 28.03.2016 के विरुद्ध
मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।**

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान
हेतु प्रस्तुत है :-

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

- 1- यहांकि, ग्राम जाट खेड़ा में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 53/1 मिन 2 रकवा 1.453 है0 सर्वे क्रमांक 53/2 रकवा 0.376 है0 सर्वे क्रमांक 54 रकवा 0.596 सर्वे क्रमांक 55/1 रकवा 0.167 है0 सर्वे क्रमांक 55/2 मिन 1 रकवा 0.547 है0 आवेदक के स्वत्व एवं स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि है। जो उनके द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय की जाकर कब्जा प्राप्त किया था।
- 2- यहांकि, उपरोक्त भूमि के संबंध में बिना किसी जाँच के अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग श्योपुर द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र आवेदक को इस आशय से प्रस्तुत किया। कि ग्राम वासियों द्वारा कलेक्टर महोदय के संक्षम जनसुनवाई में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि उपरोक्त भूमियों के संबंध में बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के फर्जी तरीके से भूमि परिवर्तित की गयी है, अतः जबाब प्रस्तुत करें।
- 3- यहांकि, जनसुनवाई में कि गयी शिकायत के आधार पर प्रकरण में न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकती। क्योंकि न्यायिक कार्यवाही के लिये सक्षम न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाना और अधिनियम में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है ऐसी स्थिति में जनसुनवाई के आवेदन पत्र पर न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सूचना पत्र त्रुटि पूर्ण होने से इसी

R
2/4

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पुनरीक्षण 2487 / एक / 2016

जिला – श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
१७-१०-१६	<p>आवेदक अभिभाषक को प्रकरण की ग्राह्यता पर सुना गया अभिभाषक द्वारा वर्तमान निगरानी अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग श्योपुर द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 28.03.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की है।</p> <p>अभिभाषक द्वारा किये गये तर्कों एवं उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी अनुविभाग श्योपुर द्वारा आवेदक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। जिसका जबाव आवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है आवेदक को निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना जबाव प्रस्तुत करें। एवं अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह आवेदक की ओर से प्रस्तुत जबाव पर विधिवत् विचार कर सकारण आदेश पारित करें। उपरोक्त निर्देशों के परिपेक्ष्य यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।</p>  <p style="text-align: right;">संदर्भ</p>	